(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु. शैलजा)** : (क) से (ग) उर्दू प्रौन्नति समिति जिसे उर्दू प्रौन्नति के लिए गुजराल समिति के नाम से जाना जाता है, ने 8 मई, 1975 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह रिपोर्ट 21 फरवरी, 1979 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी गई थी और इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । (इन्डैक्स संख्या 491.42 रा./ला. 5)

2. चूंकि अधिकांश सिफारिशें राज्यों से संबंधित हैं इसलिए ये प्रतियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को भेजी गयी थीं । प्रतियां केन्द्रीय मंत्रालयों/सरकार के विभागों को भी परिचालित की गयी थी ।

3. भारत सरकार ने, 15 फरवरी, 1990 को श्री अली सरदार जाफरी की अध्यक्षता में उर्दू प्रौन्नति के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है । जाफरी समिति ने गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की विस्तार से जांच की और इसमें और संशोधन करने के संबंध में सलाह दी । जाफरी समिति ने 18 सितम्बर, 1990 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । अन्य बातों के साथ-साथ, इस रिपोर्ट में गुजराल समिति की सिफारिशों की केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का लेखा जोखा है । यह रिपोर्ट राज्य सभा में 25-7-1991 को रखी गयी और संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध है । (इनडैक्स संख्या 491 सी. ओ. एम. 42 आर. संख्या)

**Shifting of the Office of Rashtriya Veda Vidya Pratishthan**

3186. SHRI V. RAJESHWAR RAO :
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR :

*Will the Minister of* HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the office of the Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, New Delhi has been shifted to Ujjain;

(b) if so, what is the reason therefor;

(c) whether any branch office will be kept in New Delhi; and

(d) whether any complaints or protest have been received against such shifting of the Office ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) Yes sir.

(b) A decision was taken in the Joint meeting of the General Body and Governing Council of Rashtriya Veda Vidya Pratishthan held on 10-1-92 to shift the said office to Ujjain considering the historical background and the cultural development that the city of Ujjain represents.

(c) to (d) No sir.

**Legislation for Mining Companies**

@3187. SHRI SUKOMAL SEN :
SHRI MOHAMMED AMIN :
SHRI SUNIL BASU RAY :
SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI :

*Will the Minister of MINES be pleased* to state :

(a) what is the present legislation for minnig companies to refill the craters and undertake replanting the areas to restore the top soil; and

(b) whether nationalised coal mining units are complying with the provisions ?

@Previously Unstarred Question 1750, dated 10th March, 1993.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV) : (a) The relevant rules are contained in chapter V of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 framed under Section 18 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. These rules are applicable to all minerals except :—

(i) petroleum and natural gas;

(ii) coal, lignite and sand for stowing;

(iii) any mineral declared as prescribed substances for the purpose of Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962); and

(iv) minor minerals.

(b) Environmental Management Plans (EMPs) are required to be formulated as an integral part of the coal projects. These are scrutinised by an Expert Committee constituted by the Ministry of Environment and Forests and investment decision are taken only after formal clearance of the Ministry of Environment & Forests is available. EMPs incorporate various environmental protective measures, which have to be taken simultaneously with coal mining viz. land reclamation, afforestation, control of air and water pollution.

**खनिज अधिनियम में संशोधन**

3188. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खान अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक;

(ख) क्या यह सच है कि खनिज-पट्टे अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं और कुछ पट्टाधारकों का इस क्षेत्र में एकाधिकार है;

(ग) क्या पट्टे की अवधि को कम किया जाएगा; यदि हां, तो कब तक और इस पट्टा अवधि को कितना कम किया जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति पट्टा प्राप्त करने के बाद विकास संबंधी गतिविधियां शुरू नहीं करते; और

(ङ) क्या पट्टों को शिकमी पट्टा देने के संबंध में कोई प्रतिबंध है, और यदि हां, तो देश में कितने पट्टों को इस का उल्लंघन करने के कारण रद्द किया गया है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8(1) में यह निर्धारित किया गया है कि जिस अवधि के लिए खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा वह बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन इसके लिए कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है । इस अधिनियम की धारा 6 में किसी व्यक्ति को अधिकतम क्षेत्र पट्टे पर देने की सीमा निर्धारित की गई है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) ऐसे संभावित मामले पर कार्यवाही करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में यह प्रावधान है कि यदि कोई पट्टा-धारक पट्टे की संपन्न होने से एक वर्ष के भीतर खनन कार्य आरम्भ नहीं करता है, तो वह पट्टा समाप्त हो जाएगा ।

(ङ) जी नहीं ।